राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 22/2021 प्रार्थना पत्र

उनवान

श्री मुबारिक निहार्गर पुत्र श्री हनीफ निहारर्गर निवासी मकान नं. 08, वार्ड नं. 08, निचलावास, बोतलगंज, तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर (म0प्र0)	बनाम	थानाधिकारी माण्डलगढ़, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाडा
---प्रार्थी		---विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता

उपस्थित :- श्री देश कुमार मालावत(अधिवक्ता) – प्रार्थी की ओर से

आदेश

दिनांक :17-11.2021

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री मुबारिक निहार्गर पुत्र श्री हनीफ निहारर्गर निवासी मकान नं. 08, वार्ड नं. 08, निचलावास, बोतलगंज, तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर (म0प्र0) का वाहन बोलेरो बीएस 6, रजिस्ट्रेशन नंबर MP 14 GC 2212 है, को पुलिस थाना माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा ने वजह सबूत में अपनी अभिरक्षा में लिया है। प्रार्थी उक्त वाहन का स्वामी हैं। पुलिस को तफतीश में उक्त वाहन की अब कोई आवश्यकता नही हैं। न्यायालय द्वारा जब भी उक्त वाहन को तलब किया जायेगा प्रार्थी अपने स्वयं के खर्चे से उपस्थित कर देगा। प्रार्थी उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में प्राप्त करने हेतु संतुष्टि प्रतिभूति व स्वयं का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने हेतु तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर MP 14 GC 2212 को प्रार्थी को सुपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08.11.2021 को पंजीबद्ध करते हुए विपक्षी से प्रकरण में की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट तलब की गयी। थानाधिकारी माण्डलगढ़ ने पत्रांक 5327 दिनांक 08.11.2021 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

थानाधिकारी शाहपुरा ने उनके प्रकरण संख्या 183/2021 अंतर्गत धारा 5, 8(2), 9, 10 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात विनियमन) नियम, 1995 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि जरिये मुखबीर गोवंश वाहन में भरे होने की सूचना मिलने पर ग्राम सरहद उन्द्रो का खेडा तहसील माण्डलगढ़ में एक वाहन पिकअप में 08 बछडे गोवंश के मिले। सभी 08 नग गोवंश (बछड़े) एवं बिना नंबरी वाहन बोलेरो बीएस 6 जिसके चेसिस नंबर MA1ZN2TNKL5L19412 व ईंजन नंबर TNL4L92788, को जरिये फर्द पृथक पृथक जप्त किया गया तथा सभी 08 नग गोवंश (बछड़े) श्री रामकिशन गुर्जर के बाड़े में छोडे एवं वाहन को थाना आहते में खड़ा कराया गया।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के वाहन मिनी ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर MP 14 GC 2212 को ग्रामीणो द्वारा तोड़फोड़ किये जाने से उक्त वाहन की नम्बर प्लेट गिर गयी थी अतः प्रार्थी को उक्त वाहन जमानत पर सुपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान किया जाये।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का परीक्षण किया गया जिस अनुसार पाया गया कि थानाधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा ने वाहन पिकअप बोलेरो बीएस 6, रजिस्ट्रेशन नंबर MP 14 GC 2212 चेसिस नंबर MA1ZN2TNKL5L19412 व ईंजन नंबर TNL4L92788 को अपनी तहवील में लिया है। न्यायालय के निर्णयानुसार मुल्जिम बर जमानत आजाद है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को इस हेतु पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी उक्त वाहन का किसी भी तरह से बेचान या हस्तांतरण, गिरवी, खुर्द बुर्द, व रंगरोगन/आकार–प्रकार में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं करेगा एवं अनुसंधान/सक्षम न्यायालय में विचारण में जब भी आवश्यकता हो, वाहन को स्वयं के खर्चे पर प्रस्तुत करेगा। प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर MP 14 GC 2212 के रिलीज किये जाने बाबत् कुल रूपये 8,00,000/– (आठ लाख रूपये) के जमानत मुचलका मय सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत किया गया जिन्हें तस्दीक किया गया।

विपक्षी थानाधिकारी, शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के जमानत मुचलका पेश कर दिये जाने से उक्त वाहन पिकअप बोलेरो बीएस 6, रजिस्ट्रेशन नंबर MP 14 GC 2212 को रिलीज किया जावें। जिला परिवहन अधिकारी, मन्दसौर (म0प्र0) को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में रिलीज किये जाने वाले वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर MP 14 GC 2212 चेसिस नंबर MA1ZN2TNKL5L19412 व ईंजन नंबर TNL4L92788 को श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट माण्डलगढ़/अन्य सक्षम न्यायालय में प्रकरण से संबंधित कोई अन्य केस विचाराधीन होने पर, उसके निस्तारण तक किसी अन्य को बेचान, रहन, खुर्दबुर्द व हस्तान्तरण न करें व न ही किसी अन्य से करावें।

उप पंजीयक तहसील, सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) एवं महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, भीलवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा जमानत मुचलके के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी खतौनी में अंकित ग्राम कांगणी पटवार हल्का कांगणी तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 605/2, 663 कुल किता 02 कुल रकबा 1.6400 है0 में से जमानतदार श्री मोहनलाल जाट पुत्र श्री हेमा जाट निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा के हिस्से तक की कृषि भूमि को श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट माण्डलगढ़/अन्य सक्षम न्यायालय में प्रकरण से संबंधित कोई अन्य केस विचाराधीन होने पर, उसके निस्तारण तक किसी अन्य को बेचान, रहन, खुर्दबुर्द व हस्तान्तरण न करें व न ही किसी अन्य से करावें।

वाहन रिलीज के निर्णय की प्रति थानाधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाडा, जिला परिवहन अधिकारी, मन्दसौर (म0प्र0), उप पंजीयक सहाड़ा जिला भीलवाड़ा, एवं महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, भीलवाड़ा/अजमेर को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा